## यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

बनाम

ुकदमा

मु. नं. वर्ष

| ांक | आज्ञा-पत्र |
|---|---|
| 9/12/19 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित बहस हेतु जवाब चाहा। अवसर दिया जावे पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/1/20 को पेश हो |
| 10/1/20 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/1/20 को पेश हो |
| 28/1/2020 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उप। बहस उभयपक्ष की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/2/2020 को पेश हो |
| 19/2/2020 | पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/44/2014

1. मंगली देवी पुत्री नारायण
2. रामप्यारी पुत्री नारायण
   समस्त जाति बलाई निवासीगण दुगोली तहसील धोद जिला–सीकर।

–प्रार्थीयागण

बनाम

1. नारायण पुत्र लादू (हजफ)
2. मूली देवी पुत्री नारायण
3. मनभरी देवी पुत्री नारायण
4. दड़की देवी पत्नी हनुमानाराम
   समस्त जाति बलाई निवासीगण दुगोली तहसील धोद जिला–सीकर
5. नारायण पुत्र बोदूराम जाति जाट(चेचु) निवासी दुगोली तहसील धोद जिला–सीकर
6. उपपंजीयक, धोद जिला सीकर
7. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति–

01. श्री सूरजभान सिंह, वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री पोखरमल भींचर, वकील अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से
03. श्री महेन्द्र पारीक, वकील अप्रार्थी सं. 2 की ओर से
04. श्री हरीश मिश्रा, वकील अप्रार्थीगण सं. 3 की ओर से

## –:आदेश:–

दिनांक– 19.02.2020

01. वकील प्रार्थीयागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थीयागण के पैतृक खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमियां खसरा सं. 318 रकबा 3.12 हेक्टेयर, खसरा सं. 325 रकबा 2.46 हेक्टेयर, खसरा सं. 353 रकबा 0.14 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.7200 हेक्टेयर वाके ग्राम दुगोली तहसील धोद में अवस्थित है। उक्त आराजियात के पुराने खसरा सं. 76 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं. 125 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा थे, जिनके पूर्व खातेदार प्रार्थीयागण के दादा लादू पुत्र जालू रहे है। प्रार्थीयागण अपने दादा लादू के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमियों पर उसके साथ और उसकी मृत्यु के बाद वैद्य हक, अधिकारी के रूप में पिता अप्रार्थी सं 1 नारायण के साथ काबिज काश्त चले आ रही है। उक्त आराजियात में प्रार्थीयागण प्रत्येक का 1/5, 1/5 व अप्रार्थी सं. 2 व 3 का 1/5, 1/5 व अप्रार्थी सं. 1 का 1/5 हक हिस्सा है। उक्तानुसार उक्त आराजियात में प्रार्थीयागण को 1/5, 1/5 हिस्से की काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थी सं.1 84 वर्ष का अतिवृद्ध व्यक्ति है, जिसका अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने भूमि खसरा सं. 325 रकबा 2.46 हेक्टेयर में से 1.12

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

हेक्टेयर का विक्रय दिनांक 23.06.2007 को अप्रार्थी सं. 4 के हक में निष्पादित व पंजीबद्ध करवा दिया तथा प्रतिफल स्वरूप प्राप्त राशि को अकेले अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने रख लिया। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 अप्रार्थी सं. 4 से मिलकर उक्त नुमाईशी विक्रय–पत्र दिनांकित 23.06.2007 की आड़ में प्रार्थीयागण के हक–हिस्से एवं वादग्रस्त भूमियों के महत्वपूर्ण भू–भाग पर कब्जा करवाने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये, तो प्रार्थीयागण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं होगी। प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीयागण के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमियां कृषि भूमियां खसरा सं. 318 रकबा 3.12 हेक्टेयर, खसरा सं. 325 रकबा 2.46 हेक्टेयर, खसरा सं. 353 रकबा 0.14 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.7200 हेक्टेयर वाके ग्राम दुगोली तहसील धोद जिला सीकर में प्रार्थीयागण के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।''

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 5 ता 7 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से अभिभाषक श्री पोखरमल भींचर उपस्थित हुये परन्तु जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से अभिभाषक श्री हरीश मिश्रा उपस्थित हुये परन्तु जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र पारीक ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थीयागण के आवेदन की मद संख्या 1 व 2 में दर्ज कथन कथन गलत है। अप्रार्थी सं. 1, जो कि प्रार्थीयागण व अप्रार्थी सं. 2 व 3 का पिता है, जिनके नाम वादग्रस्त कृषि भूमि रही है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जीवनकाल में प्रार्थीयागण की शादियां की है तथा दोयतों के भात भरे है। प्रार्थीयागण व अप्रार्थी सं. 3 विवाह के बाद करीब 20 वर्षों से अपने–अपने ससुराल में रहकर वहां की कृषि भूमियों पर काबिज है। प्रार्थीयागण का अपने पिता की किसी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीयागण ने भू–माफियों के बहकावे में आकर धन के लालच में उद्घोषणा का दावा पेश किया है। अप्रार्थी सं. 1 वर्ष 2007 में हष्ठ–पुष्ठ व्यक्ति था। अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी काफी वर्षों से आंख से अंधी थी व पिछले 20 वर्षों से गुर्दे की बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित थी, जिनकी दवाईयों व ईलाज के लिए व अप्रार्थी सं. 1 की बेटियों के भात विवाह आदि के लिए अपने जीवनकाल में आराजी को बेचान करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थीयागण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थीयागण का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीयागण के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थीयागण का आवेदन खारिज किया जावें।

03. बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थीयागण ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थीयागण का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थीयागण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

<u>(A) प्रथम दृष्ट्या मामला–</u> पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 के अनुसार विवादित भूमि लादू पुत्र जालू जाति चमार सा. देह के नाम पर दर्ज थी तथा जमाबंदी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

Scanned by CamScanner

2051–54, 2061–64 व 2076–79 के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी नारायण पुत्र लादू कौम मेघवंशी सा.देह के नाम पर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि नारायण को उक्त भूमि जरिये विरासत अपने पिता लादू से प्राप्त हुई है। इसलिए विवादित भूमि का पैतृक होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित है। यह भी निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थीयागण नारायण की जायंदा पुत्रियां है। जायंदा पुत्रियों को भी पुत्रों के समान ही अपने पिता की पैतृक भूमि में हक मांगने का अधिकार है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीयागण के हक में बनता है। प्रार्थीयागण का कोई हिस्सा विवादित भूमि में बनता है अथवा नहीं, अप्रार्थी सं. 1 को विवादित भूमि का बेचान करने का अधिकार था या नहीं आदि समस्त प्रश्नों का निस्तारण दावे में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् किया जायेगा।

(B) सुविधा का संतुलन– विवादित भूमि पैतृक होने तथा प्रार्थीयागणों का अप्रार्थी सं.1 की जायंदा पुत्रियां होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– विवादित भूमि पैतृक है। अतः यदि उक्त भूमि का **Further** बेचान होता है, तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीयागण को होने की संभावना है। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रमाणित है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार तीनों बिंदु प्रार्थीयागण के पक्ष में होने के कारण रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की टी.आई. जारी किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीयागण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात कृषि भूमियां खसरा सं. 318 रकबा 3.12 हेक्टेयर, खसरा सं. 325 रकबा 2.46 हेक्टेयर, खसरा सं. 353 रकबा 0.14 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.7200 हेक्टेयर वाके ग्राम दुगोली तहसील धोद जिला सीकर के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु॰ सीकर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.03.19 14:44:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: